अलाउद्दीन खलजी (1296-1316 ई.)

1296 ई. में अपने चाचा और श्वसुर जलालुद्दीन का वध करने और उसके पुत्र रुकुनुद्दीन इब्राहीम को दिल्ली छोड़ने के लिए बाध्य करने के पश्चात् अलाउद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उस अवसर पर उसने 'अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दुनियाँ-वा-दिन मुहम्मद शाह खलजी' की उपाधि ग्रहण की। एक विजेता, शासक और शासन-प्रबन्धक की दृष्टि से मध्य-युग के इतिहास में अलाउद्दीन खलजी का एक विशेष और गौरवपूर्ण स्थान है। अलाउद्दीन को 'महान्' कहकर नहीं पुकारा गया है परन्तु वह 'महानता' के बहुत निकट था और तुलनात्मक दृष्टि से दिल्ली-सल्तनत के सुल्तानों में उसे महान् स्वीकार करना अनुचित भी नहीं है।

Scanned with CamScanner

3. राजस्व (कर) तथा लगान-व्यवस्था

अलाउद्दीन की राजस्व और लगान-व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भी एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। साम्राज्य-विस्तार की लालसा की पूर्ति और मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा करने के लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी जिसके लिए राज्य की आय में वृद्धि करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त हिन्दुओं की विद्रोह करने की शक्ति को

Scanned with CamScanner

तोड़ देना भी इसका एक कारण रहा। डॉ. यू. एन. डे. ने इन सुधारों के किये जाने का एक अन्य कारण भी बताया है। उनके अनुसार इक्तादार या राज्य और किसानों के बीच का वर्ग पुरानी व्यवस्था में सबसे अधिक लाभ उठाता था। वह वर्ग बिना राज्य की स्वीकृति के अपनी भूमि में वृद्धि करता चला गया था और जबकि वह किसानों से अधिक कर वसूल करता था, राज्य को उसमें से बहुत कम हिस्सा प्राप्त होता था। इससे किसानों और राज्य को कम से कम और उस वर्ग को अधिक से अधिक लाभ था। यह स्थिति बहुत समय तक नहीं चल सकती थी और इस स्थिति में सुधार करने का उत्तरदायित्व अलाउद्दीन पर गया। वह लिखते हैं कि "सम्भवतया विद्रोहों ने इस समस्या को प्रमुख बना दिया था परन्तु **ये सुधार एक ऐतिहासिक क्रम का परिणाम थे** और अलाउद्दीन उनको कार्य-रूप में परिणत करने का साधन मात्र बना।"[1]

इस प्रकार अलाउद्दीन की राजस्व और लगान-व्यवस्था के विभिन्न कारण थे। इसमें भी सन्देह नहीं कि अलाउद्दीन ने **प्राचीन परम्परा को समाप्त करके एक नवीन व्यवस्था की नींव डाली**। सर्वप्रथम, उसने उन व्यक्तियों पर आक्रमण किया जिन्हें इनाम, पेन्शन आदि के रूप में पिछले सुल्तानों से मुफ्त भूमि प्राप्त हुई थी और जो अब किसी भी रूप में राज्य की सेवा नहीं कर रहे थे। **उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली गयी जिन्हें वह मिल्क (राज्य द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति), इनाम, इद्रारात (पेन्शनें) तथा वक्फ (धर्म की सेवा के आधार पर प्राप्त हुई भूमि) आदि के रूप में मिली हुई थी**। डॉ. यू. एन. डे का कहना है कि ऐसा नहीं था कि व्यक्तियों के पास ऐसी भूमि न रही हो, परन्तु अलाउद्दीन ने पहले ऐसे सभी व्यक्तियों से भूमि छीनकर उनका पुनः वितरण किया। उसने योग्यता तथा राज्य-सेवा के आधार पर व्यक्तियों को भूमि प्रदान की तथा इसका स्पष्ट ब्यौरा रखा कि किसके पास कौन-सी और कितनी भूमि रहेगी ? **डॉ. आर. पी. त्रिपाठी** ने भी लिखा है कि ऐसा करने में उसका उद्देश्य "ऐसी सभी भूमियों के बारे में, जिनके अधिकार को वह ठीक नहीं मानता था, निर्णय करने, उन्हें समाप्त करने अथवा अपनी शर्तों पर उन्हें अन्य व्यक्तियों को देने के सुल्तान के अधिकार को स्थापित करना था।"[2] **डॉ. के. एस. लाल** ने लिखा है कि "सुल्तान सभी भूमि को छीनकर अपने अफसरों को नकद वेतन देना चाहता था और यदि ऐसी सभी भूमि को छीना नहीं गया तो उसमें से अधिकांश का प्रबन्ध करने का अधिकार राज्य ने अवश्य ले लिया।"[3] अलाउद्दीन के इस सुधार से राज्य की भूमि (खालसा भूमि) में वृद्धि हुई, केवल उपयुक्त व्यक्तियों के पास भूमि रही और पुराने सरदारों का प्रभाव कम हुआ।

अलाउद्दीन का **दूसरा आक्रमण खूत, चौधरी और मुकदमों पर हुआ** जो पैतृक आधार पर लगान अधिकारी थे और सभी हिन्दू थे। सुल्तान को उनसे शिकायत थी कि वे किसानों

Scanned with CamScanner

से अधिक से अधिक धन वसूल करते थे और उसमें से राज्य को कम से कम देकर अधिक से अधिक अपने पास रख लेते थे। वे खराज, जजिया, करी और चराई जैसे करों का देना भी टाल देते थे। इन कारणों से वे धनवान थे। बरनी ने लिखा है कि "(वे) अच्छे घोड़े पर सवार होते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे, ईरानी धनुषों का प्रयोग करते थे, आपस में युद्ध करते थे और शिकार करते थे ..... और शराब तथा ठाठ की दावतें करते थे।"[1]

अलाउद्दीन ने उनसे लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया और उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिये। उनकी भूमि पर कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी उनसे लिये गये जिसके कारण खूत (जमींदार) और बलाहर (साधारण किसान) में कोई अन्तर न रहा। बरनी के कथनानुसार उनकी स्थिति बहुत खराब हो गयी जिसके कारण उनकी पत्नियों को कार्य करने के लिए मुसलमानों के घरों में जाना पड़ता था। अपने इस सुधार से अलाउद्दीन ने हिन्दुओं को निर्धन बनाकर उनकी विद्रोह करने की शक्ति को समाप्त कर दिया। डॉ. बनारसी प्रसाद सक्सेना के अनुसार अलाउद्दीन की यह नीति गाँव के पैतृक अधिकारियों के प्रति अपनायी गयी थी। बड़े-बड़े हिन्दू राय, राना, रावत आदि राजनीतिक प्रभावपूर्ण व्यक्तियों के प्रति यह नीति नहीं अपनायी गयी थी।

अलाउद्दीन ने लगान (खराज) पैदावार का $\frac{1}{2}$ भाग कर दिया। डॉ. यू. एन. डे का कहना है कि "पिछले सुल्तान कितना लगान वसूल करते थे इसके बारे में प्रमाण प्राप्त नहीं होते और जो कुछ भी बताया जाता है वह केवल अनुमान के आधार पर बताया जाता है।" परन्तु जो कुछ भी अनुमान लगाया जाता है उसके आधार पर यह कहा जाता है कि पिछले सुल्तानों के समय में यह पैदावार का $\frac{1}{3}$ भाग होता था। इस प्रकार अलाउद्दीन ने लगान में वृद्धि की थी, इसमें सन्देह नहीं है। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश (माप) कराकर लगान वसूल करना आरम्भ किया। इसके लिए एक 'विस्वा' को एक इकाई माना गया। प्रति विस्वा उपज के आधे भाग को राज्य का हिस्से का लगान के रूप में निर्धारित किया गया। उसने छोटी इक्ताओं को समाप्त कर दिया तथा इनसे प्राप्त जमीनों को खालसा के अन्तर्गत लाया गया जिस पर केन्द्र का पूर्ण नियन्त्रण होता था तथा लगान सीधे राज्य द्वारा वसूल किया जाता था। सुल्तान लगान को गल्ले के रूप में लेना पसन्द करता था, यह भी स्पष्ट है।

अलाउद्दीन ने दो नवीन कर भी लगाये—मकान-कर और चराई-कर। बरनी के अनुसार चराई-कर दूध देने वाले सभी पशुओं पर लगाया गया था और उन सभी के लिए चरागाह निश्चित कर दिये गये थे, जबकि फरिश्ता के अनुसार 2 जोड़ी बैल, 2 भैंस, 2 गाय और 10 बकरियों पर कोई कर न था। उसके अनुसार जिन व्यक्तियों के पास इससे अधिक पशु थे, केवल उन्हीं को कर देना पड़ता था। जजिया, सिंचाई-कर और आयात-निर्यात-कर पहले की ही भाँति रहे। 'करी' अथवा 'करही' एक अन्य कर था परन्तु उसके बारे में कुछ ठीक पता नहीं लगता। इस प्रकार किसानों पर कर का भार बहुत अधिक था, इसमें सन्देह नहीं। सम्भवतया

Scanned with CamScanner

राज्य किसानों से उनकी पैदावार का 75% से 80% तक करों के रूप में वसूल कर लेता था। इसके अतिरिक्त जबकि मुसलमान व्यापारियों पर वस्तु के मूल्य का 5% कर था, हिन्दुओं पर यह कर 10% था।

अलाउद्दीन की लगान-व्यवस्था सम्पूर्ण राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारी के द्वारा लगान वसूल किये जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गयी थी। डॉ. आर. पी. त्रिपाठी के अनुसार, निचले दोआब, अवध, गोरखपुर, बिहार, बंगाल, मालवा, पश्चिम पंजाब, गुजरात और सिन्ध इस व्यवस्था में सम्मिलित न थे।

अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक अलग विभाग 'दीवान-ए-मुसतखराज' स्थापित किया था और हजारों की संख्या में आमिल मुंशरिफ मुहस्सिल, गुमाश्ता, नवसिन्दा और सरहंग नाम के पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। रिश्वत और बेईमानी को रोकने के लिए उसने लगान-अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की परन्तु जब उससे कोई लाभ नहीं हुआ तो उसने उन्हें कठोर दण्ड दिये। बरनी ने लिखा है कि "पाँच सौ अथवा एक हजार टंका के लिए एक लगान-अधिकारी को वर्षों जेल में रहना पड़ता था और एक अधिकारी किसी व्यक्ति से एक टंका भी रिश्वत के रूप में लेने का साहस नहीं कर सकता था। प्रजा भी इतनी भयभीत हो गयी थी कि एक साधारण लगान-अधिकारी बारह खूत और चौधरियों को पीटकर उनसे लगान वसूल कर सकता था और व्यक्ति लगान-अधिकारियों से इतनी घृणा करने लगे थे कि कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह उनमें से किसी के भी साथ करने को तैयार नहीं होता था।" अलाउद्दीन पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त कर सका हो, यह तो सम्भव प्रतीत नहीं होता परन्तु तब भी अपने कठोर शासन से उसने उसमें सुधार अवश्य किया था और एक सीमित क्षेत्र में वह व्यवस्था सफल थी। उसके वित्त-मन्त्री शराफ काई ने भी अपने परिश्रम से उसकी इस सफलता में महत्त्वपूर्ण योग दिया।

अलाउद्दीन की लगान-व्यवस्था उसके समय तक उसके उद्देश्य की पूर्ति में सफल रही। उसका उद्देश्य राज्य की आय में वृद्धि करने के साथ-साथ विद्रोहों की आशंकाओं को समाप्त करना था। वह उसमें सफल हुआ। **परन्तु क्या उसकी व्यवस्था प्रजा और राज्य के स्थायी हित के अनुकूल थी ?** डॉ. यू. एन. डे ने लिखा है कि "एक व्यक्ति यह निर्णय करने के लिए लालायित हो जाता है कि किसानों की भौतिक स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि बढ़ी हुई कर-व्यवस्था के पश्चात् न तो विद्रोह हुए और न किसान भूमि को छोड़कर भागे। यह भी कहा जा सकता है कि जब किसानों ने अपने ऊपर अत्याचार करने वालों के साथ भी वही व्यवहार करते हुए देखा जिससे वह बहुत पहले से पीड़ित थे तब उन्हें एक अप्रत्यक्ष सन्तुष्टि हुई।"[1] परन्तु डॉ. डे का यह विचार एक अनुमान ही कहा जा सकता है। अपनी आय का 75% से 80% तक राज्य को देकर कोई भी वर्ग सन्तुष्ट नहीं हो सकता।

Scanned with CamScanner